संख्या- ——— 153/एक-13-2019-7-4-(9)/86-114

प्रेषक

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-13

लखनऊः दिनाँक 20 फरवरी, 2019

विषयः- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उ0प्र0) नियमावली-2016 के नियम-30(7) के अन्तर्गत अधिनिर्णय घोषित किये जाने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 दिनाँक 01.01.2014 से लागू है। इस अधिनियम के लागू होने के दिनाँक 01.01.2014 से पूर्व भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित 1984) की धारा-11(1) के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-272/1-13-2010-7-4(9)/86-114 दिनाँक 21.04.2010 द्वारा अभिलेखों का परीक्षण एवं जांच तथा पूर्वानुमोदन प्राप्त कर अभिनिर्णय की घोषणा के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था प्राविधानित की गयी थी:-

1- 10,00,00000/- रु0 (दस करोड़ रूपये) तक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2- 10,00,00000/- रु0 (दस करोड़ रूपये) से अधिक की धनराशि के अभिनिर्णयों के मामले की जाँच एवं पूर्वानुमोदन सम्बन्धित मण्डलायुक्त करेंगे।

2- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उ0प्र0) नियमावली-2016 के नियम-30(7) में अधिनियिम 2013 की धारा-23 के अन्तर्गत अधिनिर्णय की घोषणा के वितीय सीमा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। पूर्व में शासनादेश दिनांक 21.10.2010 द्वारा अधिनिर्णय की घोषण हेतु प्रतिनिधानित की गयी धनराशि की सीमा, वर्तमान अधिनियम में प्रासांगिक नहीं है।

3- अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-23 के अन्तर्गत अधिनिर्णय की घोषणा के निमित्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(उ0प्र0) नियमावली-2016 के नियम-30(7) के अन्तर्गत भूमि अर्जन के अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

1- 40,00,00000/- रू० (चालीस करोड़ रूपये) तक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2- 40,00,00000/- रू० (चालीस करोड़ रूपये) से अधिक की धनराशि के अभिनिर्णयों के मामलों की जाँच एवं पूर्वानुमोदन सम्बन्धित मण्डलायुक्त करेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ02-10/दस-2019 दिनाँक 20-02-2019 में प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 153(1)/एक-13-2019 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0वी0सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।